FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... किशोरी

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–04 सन्–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर–04/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.01. 2021	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम वीरगांव भूमि ख0न0 693/704 रकबा 0.02 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर गैरसायल किशोरी पुत्र ख्यालीराम जाति मीना निवासी वीरगांव द्वारा चार दिवारी कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा सादे कागज पर अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.88 रूपये का 50 गुणा 44 रूपये पैनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2078 की पृ0 सं0 26 पर 44 रू की मांग कायम की गई। तहसील राजस्व लखाकार	

Scanned with CamScanner